IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

सं: आईएफसीआई/आरटीआई/1428,1435,1436 & 1437/2025 दिनांक: 17/09/2025

सेवा में,

पंजीकरण संख्या: IFCIL/R/T/25/00003 dt. 08/08/2025, IFCIL/R/T/25/00005 (2 in no.) dt.26/08/2025 & IFCIL/R/T/25/00007 dt. 29/08/2025 filed under the provision of RTI Act, 2005

महोदय/ Sir,

कृपया आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से हस्तांतरण के तहत आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा प्राप्त विषय आरटीआई आवेदनों का संदर्भ लें। Please refer to the subject RTI Applications received by IFCI Ltd. under transfer from Department of Financial Services, Ministry of Finance, GOI as per the provisions of RTI Act, 2005.

2. इस संबंध में, आपके आरटीआई आवेदन का प्रश्नवार उत्तर निम्नानुसार है I In this regard, the query wise response to your RTI Application is as under:

1. आवेदन के प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में, 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के स्वीकृत ऋण/निवेश का विवरण इस प्रकार है: In response to query no.1 of the application, the details of sanctioned loans/investments that are Rs.100 Crore or more are as follows:

   Amount sanctioned: Rs.46,281 crore
   Amount disbursed: Rs.46,180 crore
   Amount repaid: Rs.38,812 crore (excluding the interest earned)
   Amount written off: Rs.4,476 crore
   Amount Outstanding (as on date): Rs.2,892 crore

   जहाँ तक कंपनियों/उधारकर्ताओं के नामों का खुलासा करने का प्रश्न है, उक्त जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(डी) सहपठित धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत संरक्षित है। यह आईएफसीआई लिमिटेड का वाणिज्यिक डेटा है, जिसके खुलासे से उक्त कंपनियों की गोपनीयता पर अवांछित आक्रमण होगा। अतः, प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जा रहा हैIAs far as disclosing the names of the companies/Borrowers are concerned, the said information is protected by virtue of Sec 8(1)(d) read with Sec 8(1)(J) of the RTI Act, 2005 being the commercial data of IFCI Ltd., the disclosure of which would cause unwanted invasion on the privacy of the said companies. Hence, the query is replied, accordingly.

2. आवेदन के प्रश्न संख्या 2 और 3 के उत्तर में, हमारी ओर से सूचना को शून्य माना जा सकता है, क्योंकि आईएफसीआई लिमिटेड के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं हैIIn response to query no.2 & 3 of the application, the information may be treated as NIL from our side as no information is available with IFCI Ltd.

Varinder Malik / वरिंदर मलिक
Central Public Information Officer
(केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी)
(IFCI Ltd. / आईएफसीआई लि.)
New Delhi / (नई दिल्ली)

3. आवेदन के प्रश्न संख्या 4 से 7 के उत्तर में, उपरोक्त प्रश्न संख्या 2 और 3 के उत्तर के मद्देनजर हमारी ओर से सूचना को शून्य माना जा सकता है।In response to query no.4 to 7 of the application, the information may be treated as NIL from our side in view of response to query no.2 & 3 above.
4. आवेदन के प्रश्न संख्या 8, 9 और 11 के उत्तर में, आपका संदर्भ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(f) के प्रावधानों के अंतर्गत आमंत्रित किया जाता है, जिसके अनुसार किसी लोक प्राधिकरण के अभिलेखों में विद्यमान सूचना केवल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही प्राप्त की जा सकती है, और वह इससे मुक्त नहीं है। कृपया ध्यान दें कि सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) को आवेदक के प्रश्नों की व्याख्या करने, शोध कार्य करने या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने आदि की आवश्यकता नहीं है। चूँकि यह सूचना IFCI लिमिटेड के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है और विभिन्न फाइलों व अन्य दस्तावेजों के माध्यम से इसे एकत्रित करने की आवश्यकता है, इसलिए यह प्रश्न अस्वीकार किया जाता है क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है।In response to query no.8,9 & 11 of the application, your reference in invited to the provisions of Sec 2(f) of the RTI Act, 2005 which provides that information which are existing on the records of a public authority is only accessible under the provisions of the act, not being exempt. Please note that CPIO is not supposed to interpret the queries of the applicant or do research work or respond to hypothetical queries etc. under the ambit of the RTI Act. Since the information is not readily available with IFCI Ltd. and requires collation and compilation after going through various files & other documents, the query is declined as the same is not permissible under the provisions of RTI Act, 2005.
5. आवेदन के प्रश्न संख्या 10 के उत्तर में, प्रश्न अस्पष्ट है क्योंकि इसमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि 500 करोड़ रुपये की राशि वितरित राशि से संबंधित है या बकाया राशि से। इसके अलावा, कृपया यह भी ध्यान दें कि जहाँ तक कंपनियों/उधारकर्ताओं से संबंधित विवरणों का संबंध है, उक्त जानकारी भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(डी) सहपठित धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत संरक्षित है। यह आईएफसीआई लिमिटेड का वाणिज्यिक डेटा है, जिसके प्रकटीकरण से उक्त कंपनियों की गोपनीयता पर अवांछित आक्रमण होगा। In response to query no.10 of the application, the query is not clear & vague as the query is silent as to whether the quantum of Rs.500 crore pertains to disbursed amount or outstanding amount. Further, please also note that as far as details regarding the companies/Borrowers are concerned, the said information is also protected by virtue of Sec 8(1)(d) read with Sec 8(1)(J) of the RTI Act, 2005 being the commercial data of IFCI Ltd., the disclosure of which would cause unwanted invasion on the privacy of the said companies.
6. आवेदन के प्रश्न संख्या 12 के उत्तर में, प्रश्न अस्पष्ट है In response to query no.12 of the application, the query is vague & not clear.
7. आवेदन के प्रश्न संख्या 13 और 14 के उत्तर में, हमारी ओर से सूचना को शून्य माना जा सकता है, क्योंकि आईएफसीआई लिमिटेड के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। In response to query no.13 & 14 of the application, the information may be treated as NIL from our side as no information is available with IFCI Ltd.
8. आवेदन के प्रश्न संख्या 15 के उत्तर में, कृपया ध्यान दें कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) को आवेदक के प्रश्नों की व्याख्या करने, शोध कार्य करने या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने आदि की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, कृपया यह भी ध्यान दें कि अधिनियम के अंतर्गत कारण और औचित्य आदि माँगने की भी अनुमति नहीं है। प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।In response to query no. 15 of the application, please note that CPIO is not supposed to interpret the queries of the applicant or do research work or respond to hypothetical queries etc. under the ambit of the RTI Act. Further please also note that seeking reasons & justifications etc. are also not permissible under the act. The query is replied, accordingly.

Varinder Malik / वरिंदर मलिक
Central Public Information Officer
(केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी)
(IFCI Ltd. / आईएफसीआई लि.)
New Delhi / (नई दिल्ली)

9. आवेदन के प्रश्न संख्या 16 के उत्तर में, कृपया ध्यान दें कि जहाँ तक कंपनियों/उधारकर्ताओं के नामों का खुलासा करने का संबंध है, उक्त जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(डी) सहपठित धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत संरक्षित है। यह आईएफसीआई लिमिटेड का वाणिज्यिक डेटा है, जिसके खुलासे से उक्त कंपनियों की गोपनीयता पर अवांछित आक्रमण होगा। अतः, प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।In response to query no. 16 of the application, please note that as far as disclosing the names of the companies/Borrowers are concerned, the said information is protected by virtue of Sec 8(1)(d) read with Sec 8(1)(J) of the RTI Act, 2005 being the commercial data of IFCI Ltd., the disclosure of which would cause unwanted invasion on the privacy of the said companies. Hence, the query is replied, accordingly.

3. आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत 30 दिनों के भीतर पहली अपील करने के उद्देश्य से प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) का विवरण निम्नानुसार है: The details of First Appellate Authority (FAA) for the purpose of preferring first appeal under the provisions of the RTI Act, 2005 within 30 days are as under:

श्री विजय कुमार गोयल, एफएए एवं निदेशक – विधि, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली (Mr. Vijay Kumar Goyal, FAA & Director – Legal, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi)

(वरिंदर मलिक)
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, आईएफसीआई लिमिटेड

Varinder Malik / वरिंदर मलिक
Central Public Information Officer
(केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी)
(IFCI Ltd. / आईएफसीआई.लि.)
New Delhi / (नई दिल्ली)